

16/5/24

प्रावली प्रस्ताव अपीलवाली अनुपस्थित
 अपीलवाली के नौक पर अपीलवाली के
 कोर्ट को पता नहीं है। हमें भी पता
 नहीं है। पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा
 अपीलवाली को न्यायालय द्वारा
 उपस्थित होने के लिए आदेशित किया
 गया था। परन्तु अपीलवाली आज इनके
 तक उपस्थित नहीं आए। लिहाजा
 अपील अपीलवाली अपीलवाली को
 अदालत दफ्तरी-अदालत के माध्यम से
 की जाती है। प्रावली जेल में
 सुनार दौरे राबिल दफ्तरी है।



जिला कलक्टर
 अनूपगढ़

